COLLEGE OF AGRICULTURE

(S.K.N. Agriculture University-Jobner)

Bhusawar (Weir): Bharatpur (Rajasthan)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Dr. Udai Bhan Singh
Prof.& Dean

Mob: 941474234
Email: dean.coabhusawer@sknau.ac.in

No.F.( )Dean-COAB/2024/677 Dated: 23/11/2024

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर के वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नलिखित डेस्कबैंच प्रयोगशाला उपकरणों, एवं कृषि उपकरण आदि की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से दिनांकः 23.11.2024 से निर्धारित प्रपत्र में सीलबन्द निविदाऐं द्वि–पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) द्वारा आमन्त्रित की जाती हैं, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रू. 500/– नगद या UPIया डिमांड ड्राफ्ट या बैंकरचैक जो कि डीन कृषि महाविद्यालय भुसावर के नाम देय हो, द्वारा भुगतान कर दिनांक 3.12.2024 को प्रातः 10.30 तक प्राप्त किये जा सकते हैं, अथवा www.sknau.ac.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.inसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं दिनांकः 03.12.2024 को दोपहर 11:30 उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	निविदा शुल्क रू.	2 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि
1.	डेस्क बैंच	262500/-	500/-	5250/-
2	प्रयोगशाला उपकरण	285260/-	500/-	5705/-
3	कृषि उपकरण	120000/	500/-	2400/-
		667760/-		

अधिष्ठाता
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Ra

कमांकः कृमविभु/संस्था./2024/ दिनांकः

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं।

1. निजीसचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि अपना मनोनीत सदस्य दिनांक 3.12.2024 को भिजवाने का श्रम करें ।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनंर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय, www.sknau.ac.inएवंsppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिष्चित करें।
5. सदस्य कमेटी–
6. लेखा शाखा–कृषि महाविद्यालय, भुसावर भरतपुर।
7. आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा को राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/राष्ट्रदूत के भरतपुर परिशिष्ठ में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करने बाबत।
8. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय–भुसावर/उपखण्ड कार्यालय–भुसावर/तहसील कार्यालय –भुसावर/पंचायत समिति–भुसावर।
9. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (R

COLLEGE OF AGRICULTURE

(S.K.N. Agriculture University-Jobner)

Bhusawar (Weir): Bharatpur (Rajasthan)

Dr. Udai Bhan Singh
Prof.& Dean

Mob: 941474234
Email: dean.coabhusawer@sknau.ac.in

No.F.( )Dean-COAB/2024/ Dated: 23/11/2024

तकनीकी निविदा प्रपत्र–1

निविदाताफर्म का नाम व पता मय दूरभाष :–

जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करें) ....

1. PAN No. -- (Photo Copy)
2. फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। (छाया प्रति संलग्न करें)..
3. निविदा प्रकिया शुल्क रू. 500/–का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक या नगद राशि द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
4. सिक्योरिटी राशि उपकरण के लागत की 2 प्रतिशत होगी जो कि डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी।
5. शर्तो पर सहमति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील।
6. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिषत (रू.) (सिक्योरिटी राशि रू. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
7. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
8. निविदा सीलबंद लिफाफे मे बन्दकर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
9. बिल का भुगतान उपकरण की आपुर्ति होने के पश्चात उपापन समिति से प्राप्त उपकरण के तकनीकी मापदण्ड (प्रपत्र–क) के अनुसार सही पाये जानें पर ही किया जावेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेषन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा।
11. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्णहोने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
12. फर्म का तीन वर्ष का वित्तीय विवरण प्रपत्र–य में संलग्न करें।
13. Fall Clause प्रमाणपत्र।
14. टानलाइन सेवा समर्थन दूरभाष नम्बर एवं सेवा समर्थन का स्थान।
15. वर्तमान अधिकृत निर्माता/विक्रेता प्रमाण पत्र
16. FORFEIT प्रमाण पत्र।
17. तीन वर्ष का गारंटी प्रमाण पत्र।

नोटः निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें ।

हस्ताक्षर निविदादाता

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

<u>निविदा हेतु शर्तें</u>

परिशिष्ट संख्या –1
प्रपत्र – "ब"
(तकनीकी बिड)
लिफाफा नं. 01

निविदा की नियम व शर्तें :–

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. फर्म के GST पंजीकरण एवं PAN Card की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. फर्म के Bank account के Cancel Cheque की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
4. वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावे जात संलग्न बोली प्रतिभूति राशि तथा वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा शुल्क रू 500/ का नकद/UPI/DD/BC डीन कृषि महाविद्यालय भुसावर के पक्ष में लिफाफा नं 01 में रखें।
5. लिफाफा नं. 2 में केवल वित्तीय बिड रखें तथा वित्तीय विड तभी खोली जावेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
6. दानों लिफाफों (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
7. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रय आदेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
8. निविदादाता कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करना होगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण स्वामित्व अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भुसावर को होगा।
10. सफल निविदादाता को कार्यादेश से आपूर्ति 20 दिन के भीतर करनी होगी। निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियम के अनुसार राशि (L.D.) वसूल की जाएगी।
11. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय भुसावर को यह अधिकार होगा कि अनुमादित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित आपूर्ति अन्य फर्म से ले सकेंगे तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) राशि जब्त की जा सकेगी।
12. अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तें सूचना राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
14. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के उपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भुसावर स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करे।
15. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्नओवर (प्रपत्र–अ) प्रमाण पत्र सी.ए. प्रमाणित मय UDIN के साथ प्रस्तुत करे। निविदादाता/फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 30 लाख होना चाहिए।
16. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र भरतपुर होगा।
17. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि महाविद्यालय, भुसावर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
18. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता होती है तो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भुसावर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

19. सैंपल प्रस्तुत करें अन्यथा तकनीकी की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
20. गुणवत्ता हेतु आई एस ओ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. फार्म ABCD पूर्ण भरकर लगावें।
22. माल की पूर्ति 30 दिवस में करनी होगी।
23. MSME का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
24. बिडर अपनी ब्रिड को किसी भी अन्य ब्रिडर या एजेन्सी को नही सौपेगा।
25. नमूने का परीक्षण उपापन संस्था वित्तीय ब्रिड खुलने से पूर्व तकनीकी कमेटी एवं क्रय समिति से कराएगी, कमेटी द्वारा नमूने की जॉच उपरांत नमूना योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय ब्रिड खोली जावेगी।
26. बिड प्रपत्र शुल्क /बिड प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड (NSIC) द्वारा सिंगल पॉइट रजिस्ट्रेशन स्कीम (SPRS) के तहत पंजीकृत फर्मो को ही विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/ अपलोड करने पर ही देय होगी।
27. बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।
28. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।
29. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Price Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
30. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि (Performence Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
31. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ–साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।
32. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई
विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

26 हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

27. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र–'र') में अपील दाखिल कर सकेगा। बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को,

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

अधिष्ठाता

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

Specification

S.No	Particular	Qnt.	Specification
1	Desk Bench	35	**Dual Desk:-** Table - Desk Made By Crc Capsule Shape Ms Steel Tube Size 20x40 X 1.6 Mm under Structure C Tpye. Design & Top Size - 1050 X 400 X 18 Mm Mdf Board Pre-Laminated & Table Top from Floor Height 750 Mm. The Table Top Edge All Side Pu Grade Colour Same Laminated with Melamine Hy Grade Polish. The Under Storage Made by Ms Wire Thickness 6 & 8 Mm All Welding Spot & Mig Only. The Storage Unit 2 Nos. Of Install in Each Table. The Complete Steel Structure Paint & Finish Only Powder Coating Paint. All Redius Pipe Area & Open Pipe End Close To Be Vergin Grade Pvc Caps. (2) **Student Seating Chair: -** The Student Chair Made by Capsule Shape Steel Tube Size 35 X 15 X 1.6 Mm Chair Steel Structure Made Only All Nesssessory Redius Band & Required Welding. Chair Seat & Back Made By Injection Moulding Process Hdpe Plastic Vergin Grade Seat Size 390 X 360 Mm And Backrest Size 390 x 220 Mm. The Complete Steel Structure Paint & Finish Only Powder Coating Paint. All Redius Pipe Area & Open Pipe End Close To Be Vergin Grade PVC Caps
2	Seed germinator	1	Single chamber with digital temp controller temperature range from 5⁰C to 50⁰ C +-1⁰C The double walled unit has inner chamber made up of SS & outer chamber of MS Sheet duty powder coated Humidity is controlled by microprocessor digital humidity controller created in a S.S. water 60-95 % RH +-3% RH Power on 220-230 Volts AC Supply 15"Wx 30-36" H x 20"D and above
3	Vertical autoclave	1	1. Outer wall & Inner Chamber: Stainless steel 304 Grade 2. Locking: Radial Locking System 3. Insulation: With Glass wool/ PUF 4. LID: Made of Thick Stainless steel 5. Gasket: Nepolene 6. Working Pressure: 15 to 22 PSI 7. Working Temperature: 121 °C to 132 °C 8. Pressure Control device: PIEZOSTAT 9. Power Requirement: 220/240 VAC Single/Three Phases 10. Size/capacity (liters): 50-60 11. Certification: CE , ISO 9001 12 Dia x Height :350x550 mm 14"x22"
4	Distillation unit	1	Horizontal type, Single Stage 1.5 lt/hr a build in heater enclosed in Quartz/ Borosilicate glass tube Housing auto water level adjuster bottom outlet for cleaning waste discharge which is fitted Teflon screw cap valve . a coil condenser fitted on top for condensing vapours . the whole unit mounted on epoxy coated metal box stand power supply unit is in build no extra attachment is required housing sturdy & reliable power system required 1KW per heater these distillation unit are more compact required less space reliable easy to operate on continues basis.
5	Hydraulic conductivity meter	1	Material Steel Automation grade -Semi automatic Application- saturated hydraulic conductivity
6	Tractor Mounted	1	Type : Tractor Mounted Heavy Duty PTO Operated (Trolley type with tyre tube)

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

	Sprayer		Frame material Must be heavy duty MS Material Tank Capacity Minimum 500 lit. three layer with stop volve Type of pump HTP Piston pump Warranty min. 1 year Maximum pump pressure 400 psi Minimum pump pressure 100 psi Pump operating pressure 100-200 psi Pump discharge Minimum 50 lt /hrs Pressure regulator with pressure gauge and dampener must be provided Hose length 100 mtr Provision of Hose reel must be provided Length of spray gun minimum 500mm Nozzle material Brass only Drain outlet in the tank Provided one spray gun with nozzle extra
7	Land Leveler (Bucket Scraper)		Type Tractor Mounted Working width Minimum 1800mm Bucket depth minimum 600mm Material MS Steel 6 mm Blade Height Min. 100 mm Blade Thickness Min. 6 mm Hitch Type Three Point Linkage

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रपत्र –'ब'

निविदा दाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रपत्र –'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में आपकी निविदानुसार Desk Bench, laboratory instrument, Farm implements, आदि की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति **Sub-Standard** होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रपत्र – 'द'

Price Fall Clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने आपकी निविदानुसार Desk Bench, laboratory instrument, Farm implements आदि की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को आपकी निविदानुसार फर्नीचर आदि आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही महाविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रपत्र 'य'

Affidavit
(on non-judicial stamp paper of 100/-)

I.. S/o .... Aged............... yrs, residing at .... Proprietor/Partner/Director of M/s .... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s .... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center.................. The acknowledgment No. is .... Dated .... and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I........................ S/o ....Aged .... yrs residing at .... Proprietor / Partner/ Director of M/s .... verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So, help me God.

Deponent

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii)Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir-Bharatpur (Raj.)

प्रपत्र 'ल'

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2021–22	....
2022–23	....
2023–24	....
योग	....

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर एवं दिनांक

Verified by C.A. with UDIN

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

COLLEGE OF AGRICULTURE

(S.K.N. Agriculture University-Jobner)
Bhusawar (Weir): Bharatpur (Rajasthan)
Mob: 9414714234
Email: dean.coabhusawer@sknau.ac.in

Dr.U B Singh
Prof.&Dean

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No.F.( )Dean-COAB/2024/ Dated: 18.11.2024

Financial

S.No	Particular	Price included all taxes (FOR included)
1	Desk Bench	
2	Seed germinator	
3	Vertical autoclave	
4	Distillation unit	
5	Hydraulic conductivity meter	
6	Tractor Mounted Sprayer	
7	Land Leveller(BucketScraper)	

DEAN
DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)